झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान–सभा
संख्या–05

सप्तदश (मॉनसून) सत्र
गुरूवार, दिनांक–01अगस्त, 2024 ई०।

समय–11.00 बजे पूर्वा० से 01.09 बजे अप० तक।
(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.सूचना का दिया जाना–

माननीय सदस्य, श्री सुदिव्य कुमार ने व्यवस्था के प्रश्न पर आसन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन को बंधक बनाये जाने, आसन के आदेश की अवहेलना एवं उनके द्वारा किया गया आचरण गरिमा के प्रतिकूल तथा खेदजनक है। आसन से आग्रह होगा कि इसके लिए झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–310 के तहत सुसंगत कार्रवाई ली जाय। यह विशेषाधिकार हनन के दायरे में आता है।

(भारी शोरगुल)

2.आसन से नियमन–

विशेषाधिकारों के मामले में सभा सर्वोच्च है। यह अपने विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार करने के मामले में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों की शक्तियों से युक्त है।

अतः भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–299, 300 एवं 310 के आलोक में सभा के निम्नांकित सदस्यों को दिनांक–02.08.2024 के 02.00 बजे अप० तक सभा की कार्यवाही से निलम्बित किया जाता है–

1. श्री अनन्त कुमार ओझा,
2. श्री रणधीर कुमार सिंह,
3. श्री नारायण दास,
4. श्री अमित कुमार मण्डल,
5. डॉ० नीरा यादव,
6. श्री किशुन कुमार दास,
7. श्री केदार हजरा,

8. श्री बिरंची नारायण,
9. श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता,
10. श्री राज सिन्हा,
11. श्री कोचे मुण्डा,
12. श्री भानू प्रताप शाही,
13. श्री समरी लाल,
14. श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह,
15. श्री नवीन जयसवाल,
16. डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता,
17. श्री आलोक कुमार चौरसिया,
18. श्रीमती पुष्पा देवी।

इस मामले की विस्तृत जाँच हेतु यह विषय झारखण्ड विधान सभा की गठित सदाचार समिति को सौंपी जाती है। सभापति, सदाचार समिति विषय की विस्तृत एवं गम्भीरतापूर्वक जाँच करते हुए अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा को समर्पित करेंगे।

(सदन में व्याप्त अव्यवस्था एवं भारी शोरगुल के कारण 11.19 बजे पूर्वा० में सभा की कार्यवाही 12.30 बजे अप० तक के लिए स्थगित।)

(स्थगनोपरांत)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

3.सूचना का दिया जाना–

माननीय सदस्य, श्री राजेश कच्छप ने सूचना के माध्यम से आसन से आग्रह किया कि खिजरी विधान सभा क्षेत्र के नामकुम प्रखण्ड में कल अचानक वज्रपात होने के कारण ग्यारह व्यक्ति घायल हो गये हैं और उनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गयी है। यह सभी गरीब किसान एवं मजदूर हैं, सरकार तत्काल इन्हें सहायता राशि प्रदान करे।

माननीय सदस्य, श्री सुदेश कुमार महतो ने आसन से आग्रह किया कि कल से सदन के अन्दर उत्पन्न गतिरोध के बाद आपके द्वारा विपक्षी सदस्यों के निलम्बन की कार्रवाई ली गयी है जिसपर पुनर्विचार किया जाय ताकि हमलोग सदन के परम्परा का निवर्हन सुचारू रूप से कर सकें। सूचना के क्रम में सदन में उत्पन्न गतिरोध के समाधान हेतु कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष लाये जाने हेतु भी उन्होंने सुझाव दिया जिसपर माननीय सदस्य, श्री सरयू राय ने भी अपनी सहमति जतायी। आसन द्वारा भी इसपर अपनी सहमति जतायी गयी।

माननीय सदस्य, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा ने आसन से आग्रह किया कि कल से धरने पर बैठे हमारे साथी सदस्यों के साथ मैं भी साथ में था, परन्तु मुझे छोड़कर सभी को निलम्बित किया गया इससे मेरा और आपका किरकिरी हो रहा है। मुझे भी क्यों नहीं निलम्बन की सूची में रखा गया?

माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री अमर कुमार बाउरी ने आसन से आग्रह किया कि विपक्ष के सदस्यों द्वारा अपनी माँगों को रखने हेतु शांतिपूर्वक धरना दिया गया, जो संसदीय परम्पराओं में उनका अधिकार है। हमलोगों के द्वारा धरने के क्रम में किसी भी प्रकार का नुकसान या क्षति सदन को नहीं पहुँचाया गया है।अतएव निलम्बन के पूर्व विपक्षी सदस्यों से उनकी राय भी ली जानी चाहिए थी, जो नहीं लिया गया।

माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी सूचना के क्रम में माननीय सदस्य, श्री सुदिव्य कुमार ने आसन के द्वारा ली गयी कार्रवाई को सर्वथा उचित ठहराया।

4.शून्यकाल–

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–303 के तहत आज के लिए स्वीकृत शून्यकाल की सूचनाएँ निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गयी:–

श्री उमाशंकर अकेला,
श्री मंगल कालिन्दी,
श्री रामचन्द्र सिंह,
श्री भूषण बड़ा,
श्रीमती सबिता महतो,
श्री सोनाराम सिंकू,
श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी,
श्री राजेश कच्छप,
श्री सरयू राय,
श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,
श्री दशरथ गागराई,
श्री समीर कुमार महान्ती,
श्री रामदास सोरेन,
श्री मथुरा प्रसाद महतो,
सुश्री अम्बा प्रसाद,
डॉ० लम्बोदर महतो,
श्री भूषण तिर्की,
श्रीमती सुनीता चौधरी।

5.सभा मेज पर कागजात का रखा जाना–

आसन की अनुमति से गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री वैद्यनाथ राम द्वारा अधिसूचना संख्या–6160, दिनांक–22.12.2023 द्वारा गठित एक सदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग का प्रतिवेदन राज्य सरकार को दिनांक–25.02.2024 को समर्पित, **" The Commission of Inquiry Act-1952"** की धारा–3 (उप धारा–4) के प्रावधान के आलोक में आयोग की प्रमाणीकृत प्रति सभा पटल पर उपस्थापित की गयी।

6.राजकीय संकल्प–

आसन की अनुमति से प्रभारी मंत्री, खनन् एवं भूतत्व विभाग, डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा सभा की सहमति से **"CBA Act-1957** के कतिपय प्रावधानों में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन के द्वारा **CBA Act** के तहत अधिग्रहित भूमि को पुनः पट्टा/लीज पर दिये जाने का अधिकार सरकारी कम्पनियों को दिये जाने के बावत सभी आपत्तियों सहित राज्य सरकार का मन्तव्य, जो पूर्व में भारत सरकार को उपलब्ध कराया गया है, के आलोक में **CBA Act, 1957** में प्रस्तावित संशोधन को पारित नहीं करने का अनुरोध यह सभा भारत सरकार से करती है" एतद् विषयक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने हेतु सभा की सहमति हुई।

7.निवेदन की सूचना–

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–263(1) के तहत चलते सत्र में दिनांक–26.07.2024 से 31.07.2024 तक स्वीकृत कुल–07(सात) निवेदनों को सम्बन्धित विभागों को भेजने हेतु सदन की सहमति प्राप्त हुई, विषयक सूचना से आसन द्वारा सदन को अवगत कराया गया।

8.आसन से सूचना–

दिनांक–02.08.2024 को प्रथम पाली में प्रश्नकाल, शून्यकाल के पश्चात् राजकीय विधेयकों का उपस्थापन एवं पारण होगा एतद् विषयक सूचना से आसन द्वारा सदन को अवगत कराया गया।

तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक–02.08.2024 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक–01 अगस्त, 2024 ई०।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।